क्षेत्र	अधिकारियों का पदनाम
पूर्वी क्षेत्र :	महा-प्रबन्धक, उप महा-प्रबन्धक (बिक्री), उप महा-प्रबन्धक (परिचालन), उप महा-प्रबन्धक (इलपीजी), मुख्य विमानन प्रबन्धक, उप महा-प्रबन्धक (लेखा), उप महा-प्रबन्धक (कार्मिक), उप महाप्रबन्धक (कलकत्ता), उप महा-प्रबन्धक (पटना), उप प्रबन्धक (गोहाटी), उप प्रबन्धक (दुर्गापुर), उप प्रबन्धक (रायपुर), उप प्रबन्धक (सिलीगुड़ी), उप प्रबन्धक (भुवनेश्वर), उप प्रबन्धक (जमशेदपुर) ।
पश्चिमी क्षेत्र :	उप महाप्रबन्धक (एल पी जी), क्षेत्र प्रबन्धक (नागपुर/भोपाल/अहमदाबाद/राजकोट) उपप्रबन्धक (नागपुर/भोपाल/अहमदाबाद/राजकोट), संयंत्र प्रबन्धक (राजकोट), संयंत्र प्रबन्धक (हजीरा) ।
दक्षिणी क्षेत्र :	महा-प्रबन्धक, उप-महा प्रबन्धक (एल पी जी), मुख्य-कार्मिक प्रबन्धक, उप महा-प्रबन्धक (परिचालन), उप महा-प्रबन्धक (बिक्री), उप महा-प्रबन्धक (वित्त), मुख्य-विमानन प्रबन्धक ।

विजली के नकली सामान का उत्पादन

3410. **श्री सुनील कुमार पट्टनायक** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिजली की ट्यूबों और बल्बों का निर्माण करने वाली सिल्वेनिया लक्ष्मण तथा फिलिप्स जैसी कम्पनियों के नाम से दिल्ली में बड़ी पैमाने पर बिजली के नकली सामान का खुले आम उत्पादन किया जा रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रवृत्ति को रोकने के लिए सरकार द्वारा उठाये जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) ऐसी शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि प्रमुख ब्रांड नामों का प्रयोग करके बिजली की ट्यूबों तथा बल्बों जैसी बिजली के नकली सामान का उत्पादन किया जा रहा है ।

(ख) सरकार ने भारतीय मानक अधिनियम ब्यूरो, एकाधिकार तथा अवरोधक ब्यापार व्यवहार अधिनियम, व्यापार तथा पण्यवस्तु चिन्ह अधिनियम जैसे अनेक कानून बनाये है जिनमें ब्यापार चिन्हों की जालसाजी करने, वस्तुओं पर नकली ब्यापार चिन्ह लगाने, जिस वस्तु पर नकली ब्यापार चिन्ह लगाया गया हो अथवा गलत विवरण दिया गया हो उसकी बिक्री करने और भारतीय मानक प्रमाणीकरण करने अथवा इसका नकली आभास कराने इत्यादि जैसे अपराधों के लिए दण्डात्मक कार्रवाई करने की व्यवस्था है ।

विकलांग व्यक्तियों और विधवाओं को गैस एजेंसियों का आवंटन

3411. **श्री सुनील कुमार पट्टनायक** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान गैस ऐजेंसियों के आवंटनार्थ विकलांग व्यक्तियों और विधवाओं से क्रमशः इंडियन आयल कारपोरेशन, भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड और हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार-

पोरेशन लिमिटेड को कितने-कितने आवेदन प्राप्त हुये हैं ;

(ख) उक्त आवेदनों के आधार पर ऊपर उल्लिखित श्रेणियों के व्यक्तियों को कितनी गैस ऐजेंसियां स्वीकृत की गई है और कितने आवेदन-पत्रों को रद्द कर दिया गया है ; और

(ग) ऐसे आवेदनों को रद्द किये जाने के क्या कारण है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में उपमंत्री (श्री रफीक आलम) :(क) और (ख) डीलरशिप चयन मार्गदर्शी सिद्धान्तों मे अन्य बातो के साथ-साथ "शारीरिक रूप से विकलांग" और "रक्षा" श्रेणी के लिए अधीन प्रत्येक के लिए साढ़े सात प्रतिशत के आरक्षण की व्यवस्था है । शारीरिक रूप से विकलांग श्रेणी के लिए आरक्षण के अन्तर्गत शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों में निम्नलिखित शामिल है :—

> "शारीरिक रूप से विकलांग ऐसे सरकारी कार्मिक (रक्षा कार्मिकों को छोड़कर) जो कार्य के दौरान विकलांग हुए/ऐसे सरकारी कार्मिकों (रक्षा कार्मिकों को छोड़कर) की विधवा जिनकी मौत कार्य के दौरान हुई" ।

विधवाओं के संबंध में उपर्युक्त विवरण के अनुसार पात्र विधवाओं को छोड़कर रक्षा श्रेणी में निम्नलिखित भी पात्र है :—

> "ऐसे रक्षा कार्मिकों की विधवाएं और मातहीन आश्रित जिनके पति/अभिभावक की मृत्यु युद्ध या शांतिकाल के दौरान सेना में ड्यूटी के दौरान हुई"

उपर्युक्त से पता चलता है कि केवल "शारीरिक रूप से विकलांग" व्यक्तियों अथवा केवल विधवाओं के लिए कोई आरक्षण नहीं है । उपर्युक्त श्रेणी के अन्तर्गत पात्र शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति या विधवाये एल०पी०जी० की डिस्ट्रीब्यूटरशिप के लिए न केवल उपर्युक्त श्रेणी के अन्तर्गत, बल्कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति स्वतन्त्रता सैनानी और "ओपन" श्रेणी के लिए आरक्षण के अन्तर्गत भी आवेदन करने के पात्र हैं ।

इस तथ्य को देखते हुये इंडियन आयल कारपोरेशन, भारत पैट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड और हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा विज्ञापित एल.पी.जी. की डिस्ट्रीब्यूटरशिपों की पिछले तीन वर्षों के दौरान की संख्या, विभिन्न श्रेणियों के अन्तर्गत, 100 से अधिक होगी और प्रत्येक विज्ञापन के प्रति सामान्यत या अनेक आवेदनपत्र प्राप्त होते हैं, अतः इस संबंध में सूचना एकत्र करने में लगने वाले प्रयास वांछित प्रयोजन की तुलना में बराबर नहीं होंगे ।

(ग) उच्च न्यायालय के सेवा निवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता वाले तेल चयन बोर्ड द्वारा डिस्ट्रीब्यूटरों का चयन अभ्यर्थियों की सुपात्रता और तुलनात्मक दृष्टि से गुण दोष के आधार पर किया जाता है। सामान्यतः चयन बोर्ड गुण दोष के आधार पर तीन अभ्यर्थियों के नाम पैनल पर रखता है ।

National Technology Mission in the Area of Telecommunications

3412. SHRI NATHA SINGH: Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to the PTI Report with Chandigarh date-line published in the 'Times of India' dated 10th February, 1988 regarding the first task of National Technology Mission in the area of telecommunication;

(b) whether it is a fact that one of the objectives of the Mission is to improve rural telephone network;

(c) if so, whether mobile or cellular radio telephones would be introduced in rural areas;